शीर्ष प्राथमिकता/महत्वपूर्ण

संख्या:-5/2020/777/78-1-2020-123आई0टी0/2016टीसी

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0 शासन।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-1 **लखनऊ दिनांक: 28 जुलाई, 2020**

विषय:- उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 के प्रस्तर 4.5 में तथा प्रस्तर 4.7 के अन्तर्गत पात्र इलेक्ट्रानिक्स इकाईयों को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) व्यवस्था के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या:-1395/77-6-2020-5(एम)/2017टीसी-2, दिनांक 12 जून, 2020 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 एवं उसके अन्तर्गत जारी नियमावली, राज्य में निवेश को बढावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित सभी अन्य नीतियों तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति नीति-2012 के अन्तर्गत संचालित मेगा परियोजनाओं एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2003/2012 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) (एस0ओ0पी0) निर्धारित की गयी है।

2- उपरोक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 इलेक्ट्रानिक्स विनिर्माण नीति 2017 के प्रस्तर 4.5 तथा प्रस्तर 4.7 के अन्तर्गत पात्र इलेक्ट्रानिक्स इकाईयों को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के संबंध में आई0टी0 एवं इले0 अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:-777/78-1-2018-123आई0टी0/2016 टीसी, दिनांक 15 जून, 2018 एवं शासनादेश संख्या:-1393/78-1-2018-123आई0टी0/2016 टीसी, दिनांक 25 अक्टूबर, 2018 को अवक्रमित करते हुए पात्र इलेक्ट्रानिक्स इकाईयों को एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति के संबंध में मानक परिचालन प्रक्रिया (स्टैण्डर्ड आपरेटिंग प्रोसीजर) व्यवस्था के निर्धारण हेतु औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:-1395/77-6-2020-5(एम)/2017टीसी-2, दिनांक 12 जून, 2020 को एतद्वारा अंगीकृत किया जाता है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
आलोक कुमार
अपर मुख्य सचिव

1- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागयाहै, अत: इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहीहै।
2- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.nic.inसेसत्यापितकीजासकतीहै।

संख्या:-5/2020/777(1)/78-1-2020 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

(2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

(3) अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) वाणिज्य कर आयुक्त, उ0प्र0।

(5) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

(6) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, उ0प्र0 शासन।

(7) स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(8) कार्यकारी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।

(9) निदेशक उद्योग, कानपुर, उ0प्र0।

(10) निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(11) निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव (आर0/एन0/) आई0टी0 एवं इले0 विभाग, उ0प्र0 शासन।

(12) प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी, लखनऊ।

(13) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
बराती लाल
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यहशासनादेशइलेक्ट्रानिकलीजारीकियागयाहै, अत: इसपरहस्ताक्षरकीआवश्यकतानहीहै।

2- इसशासनादेशकीप्रमाणिकतावेबसाइटhttp://shasanadesh.up.nic.inसेसत्यापितकीजासकतीहै।

21/2020/1395
संख्या– /77–6–2020–5(एम)/2017टी.सी.–2

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
3. प्रबन्ध निदेशक,
   पिकप/उ0प्र0वित्तीय निगम।

औद्योगिक विकास अनुभाग–6

लखनऊः दिनांक 12 जून, 2020

विषयः– उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न नीतियों एवम् पूर्वगामी अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रकिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 एवं उसके अन्तर्गत जारी नियमावली, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित सभी अन्य नीतियों तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के अन्तर्गत संचालित मेगा परियोजनाओं एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना 2003/2012 के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में इन्सेन्टिव के रूप में एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा हेतु मानक परिचालन प्रकिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) निम्नवत् निर्धारित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2. **मानक परिचालन प्रकिया (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP))** की रूपरेखा :–

(a) नेट राज्य जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की राशि के हेतु यह प्रतिबन्ध रहेगा कि इच्छुक इकाई के क्रेडिट लेजर में नेट एस.जी.एस.टी की गणना हेतु आवेदक के केडिट की उपलब्धता की सीमा तक outward SGST liability का समायोजन क्रेडिट से माना जाएगा तथा कुल outward SGST liability में से आई.जी.एस.टी. क्रेडिट से नियमानुसार एस.जी.एस.टी. में समायोजन योग्य क्रेडिट एवं समायोजन योग्य एस.जी.एस.टी. क्रेडिट के योग को घटाने के उपरान्त अवशेष Net SGST के रूप में जमा धनराशि को प्रतिपूर्ति के नियमानुसार आगणन हेतु आधार माना जाएगा।

(b) आवेदनकर्ता के कारोबार के स्थान (इकाई का अवस्थान) पर उत्पादित अर्ह माल के प्रथम प्रदाय (विक्रय) पर ही सुविधाएं अनुमन्य की जायेंगी। आवेदक के राज्य में स्थित उनके केताओं/डिस्ट्रिब्यूटर्स द्वारा आवेदक इकाई द्वारा उत्पादित एवं विक्रीत माल के अन्तरप्रान्तीय सप्लाई किए जाने की स्थिति में एस.जी.एस.टी. की धनराशि के जितने अंश का समायोजन ऐसी अन्तरप्रान्तीय सप्लाई पर देय आई.जी.एस.टी. के विरूद्ध किया जाएगा, उतनी धनराशि प्रतिपूर्ति के इच्छुक आवेदक द्वारा अपने अनुवर्ती क्लेम से घटा दी जाएगी अथवा संबंधित प्रशासकीय विभाग को वापस कर दी जाएगी।

(c) सभी आवेदनकर्ता इकाइयों द्वारा उ0 प्र0 जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत अर्ह उत्पादों के विनिर्माण हेतु पृथक कारोबार के स्थान (इकाई का अवस्थान) हेतु पृथक रजिस्ट्रीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। यह रजिस्ट्रीकरण प्रश्नगत विषयक सूचना दिये जाने की तिथि से 30 दिन की अवधि के भीतर प्राप्त किया जाएगा। विद्यमान कारोबार के स्थान पर कार्यरत इकाइयों द्वारा विस्तारीकरण/ विविधीकरण किए जाने की दशा में भी ऐसे सम्पूर्ण उपक्रम के कारोबार के स्थान हेतु पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(d) आवेदनकर्ता इकाई पृथक रजिस्ट्रीकरण पर किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग की गतिविधियां किए जाने पर सुविधाओं की अनुमन्यता की अवधि पूर्ण होने तक प्रतिबन्ध रहेगा। विद्यमान इकाइयों द्वारा अपने कारोबार के स्थान (जिसके लिए एल.ओ.सी. जारी किया गया था एवं आंशिक रूप से सुविधाएं प्राप्त की जा चुकी हैं) पर ट्रेडिंग एवं उत्पादन, दोनों गतिविधियां सम्पादित किए जाने की दशा में, ट्रेडिंग हेतु पृथक रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया जाएगा।

(e)आवेदक इकाई द्वारा एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति के आवेदन के साथ निम्न प्रपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे :-

1) मासिक/त्रैमासिक रिटर्न के प्रारूप–3 बी की प्रति।
2) जी.एस.टी.–आर–1 की प्रति।
3) जी.एस.टी.– आर 2 ए की प्रति।
4) निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र।
5) कम्पनी के स्टेच्युटरी आडिटर्स द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र।
6) कम्पनी की अण्डरटेकिंग।

(f) <u>डेबिट नोट्स</u> :

विशेष सुविधाएं प्राप्त करने वाली अर्ह इकाई द्वारा उसके प्रदायकर्ताओं (सप्लायर्स) द्वारा जारी किए गए कुल डेबिट नोट्स के अभिलेख का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।

(g) <u>आवेदक द्वारा इस आशय की अण्डरटेकिंग देनी होगी</u> :

(i) कि उनके द्वारा विक्रय किए गए उत्पाद का उनके अनुवर्ती प्रान्तीय केताओं/डिस्ट्रिब्यूटर्स द्वारा अन्तरप्रान्तीय सप्लाई किए जाने की स्थिति में एस.जी.एस.टी. के जितने अंश का समायोजन ऐसी अन्तरप्रान्तीय सप्लाई पर देय आई.जी.एस.टी. के विरूद्ध किया जाएगा, उतनी धनराशि प्रतिपूर्ति के इच्छुक आवेदक द्वारा अपने अनुवर्ती क्लेम से घटा दी जाएगी अथवा संबंधित प्रशासकीय विभाग को वापस कर दी जाएगी।

(ii) कि एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति के क्लेम का किसी ट्रेडिंग गतिविधि से संबंध नही है।

(iii) कि जिस राशि की प्रतिपूर्ति का क्लेम किया गया है उसमें विलम्ब शुल्क, दण्ड ब्याज, एवं ऐसे अन्य शुल्क सम्मिलित नहीं है जो प्रतिपूर्ति योग्य नहीं है।

(iv) कि आवेदनकर्ता इस तथ्य से भिज्ञ हैं कि उनके द्वारा ऐसे किसी वितरण के माध्यम अथवा मार्ग/इण्टरमीडियरी को इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना, जिससे कि अन्तरप्रान्तीय सप्लाई को प्रदेश के भीतर दिखा कर एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की सुविधा के क्लेम में वृद्धि की जा सके, वर्जित है। यह भी कि ऐसा करने पर आवेदनकर्ता के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

(v) यह कि ऐसे अतिरिक्त करों की राशि का आरोपण, जो कि कपट, मिथ्या कथन/तथ्यों को छिपाना, अथवा wilful default के कारण किया गया हो, प्रतिपूर्ति हेतु अर्ह नहीं है, एवं यह भी कि यदि क्लेम की राशि में इस प्रकार आरोपित कर की राशि को सम्मिलित किये जाने की दशा में आवेदक कम्पनी के विरूद्ध नियमानुसार उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

(vi) यह कि यदि किसी समय बिन्दु पर यह पाया जाता है कि आवेदक द्वारा अनुमन्य राशि से अधिक प्रतिपूर्ति किसी दावे के अधीन प्राप्त की गयी है, तो ऐसी अतिरिक्त एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति की गई धनराशि राज्य सरकार को तुरन्त ही मय 18 प्रतिशत ब्याज दर की राशि के वापस करनी होगी।

3— ये स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर(SOP) उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोज़गार प्रोत्साहन नीति–2017 एवं उसके अन्तर्गत जारी नियमावली, राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा निर्धारित सभी अन्य नीतियों तथा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति–2012 के अन्तर्गत संचालित मेगा परियोजनाओं एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना–2003/2012 पर समान रूप से लागू होंगे। इस स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के प्रभावी कियान्वयन हेतु यथावश्यक नियमावलियों में प्रकियात्मक संशोधनो हेतु प्रशासनिक विभाग सक्षम होंगे। इस प्रकार यह स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सभी उन नीतियों में समान रूप से लागू होंगे जिनमें निवेशकों को एस.जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति सुविधा अनुमन्य कराये जाने का प्राविधान किया गया है।

4. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की दृष्टि से संबंधित इकाईयों द्वारा एस0जी0एस0टी0 प्रतिपूर्ति हेतु क्लेम नोडल एजेन्सी/विभाग को प्रस्तुत किया जाएगा। संबंधित संस्था/विभाग द्वारा स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर

(SoP) का पालन करते हुए संगत नीति के प्रावधानों के अन्तर्गत परीक्षण/आंकलन कर प्रस्ताव राज्य कर विभाग को प्रेषित किया जाएगा। नोडल एजेंसी/विभाग द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर राज्य कर विभाग द्वारा 15 दिनों के भीतर अपनी आख्या सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके पश्चात् संबंधित विभाग द्वारा सक्षम संस्तुतिकर्ता/स्वीकृतिकर्ता स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर नेट एस.जी.एस.टी. की स्वीकृत धनराशि संबंधित इकाई को वितरण हेतु राज्य कर विभाग को प्रेषित करेंगे जो अपने बजट से स्वीकृत क्लेम की धनराशि की प्रतिपूर्ति करेंगे। सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरान्त सम्बन्धित इकाई को इन्सेंटिव का वितरण राज्य कर विभाग द्वारा स्वीकृति प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर करना सुनिश्चित किया जाएगा। जब तक वित्त विभाग द्वारा इस हेतु राज्य कर विभाग को बजट आवंटन नहीं किया जाता है, तब तक प्रशासकीय विभाग द्वारा एस0जी0एस0टी0 क्लेम प्रतिपूर्ति अपने बजट से की जाती रहेगी।

5. ये आदेश मा0 मंत्रि परिषद के अनुमोदन से जारी किये जा रहे है।

कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/77–6–2020–5(एम)/2017टी.सी.–2, तद्दिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, उ0प्र0शासन।
3. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।
4. अधिशासी निदेशक,उद्योग बन्धु; को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उद्योग बन्धु की वेब–साइट पर अपलोड कराते हुए 150प्रतियाँ शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,उ0प्र0शासन।
7. समस्त अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
8. वित्त(आय–व्ययक)अनुभाग–1/वित्त(आय–व्ययक)अनुभाग–6
9. नियोजन अनुभाग–1
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुजाता शर्मा)
विशेष सचिव।